

सं० सं०-टी-3/भवन-36/2017-.....2369/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक-09/10/2017

विषय:-

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया के परिसर में प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार कार्य, चहारदीवारी का निर्माण कार्य तथा कर्मशाला भवन के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल राशि ₹० 54,75,700.00 (चौवन लाख पचहत्तर हजार सात सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया के परिसर में प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार कार्य, चहारदीवारी का निर्माण कार्य तथा कर्मशाला भवन के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल राशि ₹० 54,75,700.00 (चौवन लाख पचहत्तर हजार सात सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-8347(भ०), दिनांक-14/09/17 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	राशि
1	Repair for Office of Mahila ITI Gaya	7,89,900.00
2	Construction of Boundary wall for Mahila ITI Gaya	40,22,500.00
3	Repair for Workshop of Mahila ITI Gaya	6,63,300.00
Total-		54,75,700.00


- 2- इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, उप शीर्ष-0112-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-03-4059600510112, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष -0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित से की जायेगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- 7- संचिका संख्या-टी-3/भवन-36/2017 के पृष्ठ-07/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन


अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग


ज्ञापांक- टी-3/भवन-36/2017-.....2369..... /प ट ना, दिनांक-.....09 / 10 / 2017

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-36/2017-.....2369..... /प ट ना, दिनांक-.....09 / 10 / 2017

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, गया/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया /मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग